


फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय 2023/240

संख्या

रामपाल / रामजीलाल

| संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|--------|---------------------------|---|-------------|
| | 21/25 | पत्रावली पेश हुई। कानून द्वारा कन्वोलेंस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/8/25 को पेश हो। | |
| | 25/7/25 | पत्रावली पेश हुई। P.O. साक्षर/कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 11/8/25 को पेश हो। | |
| | 01/8/25 | पत्रावली पेश हुई। P.O. साक्षर/कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 14/8/25 को पेश हो। | |
| | 4/8/25 | पत्रावली पेश हुई। P.O. साक्षर/कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 7/8/25 को पेश हो। | |
| | 7/8/25 | पत्रावली पेश। वकील पहाकर धर्मिक लामील द्वारा दिनांक 25/8/25 को पेश हो। | |
| | |  उप खण्ड अधिकारी बस्ती, जिला जयपुर | |
| | 25/8/25 | पत्रावली पेश हुई। कानून द्वारा कन्वोलेंस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/9/25 को पेश हो। | |
| | 15/9/25 | प्रार्थना पर न. से सम्बन्धित मूल वाद के विरो प्रार्थना पर स्वीकार होने पर वाद पर | |

फर्द अहकाम

बनाम

आयालय

क्रमा 2023/240

रामपाल vs रामजी लाल

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | <p>खारिज हो चुका है। शर्मा न्यायालय आज्ञा में उपाक्षित होकर अपने हस्तक्षार आदेशिका पर अंतिम छिपे जिले पट्टाव नार्थी अधिवक्ता ने की। शर्मा पर तब से सम्बन्धित मूल वाद के खारिज होने से शर्मा पर तब को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज ठिफा आता है। फावली पर भारी स्थगन आदेश दिनांक 26/10/23 के सहित होने से खारिज किया जाता है। फावली नम्बर से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बस्ती जिला-जयपुर</p> | <p>रामपाल 74 15/10/23</p> |